

अनवान नवदीप सिंह बनाम गुरुदयाल कौर
 प्रकरण संख्या 47, 2022 अन्तर्गत धारा 212RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
11/6/25 <i>200 curd Review Diy</i>	अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी सि. उता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल प्रिभल रहे। अप्रार्थी सि. 6 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/7/25 को पेश हो।
14/7/25	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय थाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12/8/25 को पेश हो।
12/8/25	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय थाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/9/25 को पेश हो।
10/9/25	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने बाबत भर्ज किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212RTA खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र श्लो-भाति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08/07/2022 मूलवाद के निगमित तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निगमित होकर गुस्बर से कम लेकर मूलवाद के साथ सलग्न हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर (गंगानगर)